

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22—दिसम्बर 28, 2018 (पौष 1, 1940)=

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22—DECEMBER 28, 2018 (PAUSA 1, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 दिसम्बर 2018

सं. ए-22012/1/2018-पीएमई(पार्ट-1)—राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री कार्यालय में श्री अजीत कुमार, आई.ए.एस. (केएल : 2006), उप सचिव की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि 25.02.2019 से आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाते हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

दिनांक 12 दिसम्बर 2018

सं. ए-22014/2(i)/2018-पीएमई (पार्ट-1)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 25.10.2018 और 22.11.2018 तथा गृह मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-32014/07/2018-प्रशा.1(ए) दिनांक 04.12.2018 के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री मान सिंह राणा [सीएसएल नं. 2450] को प्रधान मंत्री कार्यालय में निजी सचिव के तौर पर तदर्थ आधार पर दिनांक 04 दिसम्बर 2018 (पूर्वाहन) से दिनांक 30.06.2019 की अवधि के लिए या जब तक ये पद नियमित पदोन्नति से नहीं भरे जाते हैं या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

- i. इस तदर्थ पदोन्नति से नियुक्त हुए व्यक्ति को इसी ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. जो अधिकारी तदर्थ पदोन्नति का लाभ नहीं उठा पाते हैं, उनके संबंध में इस पदोन्नति आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा;
- v. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले;
- vi. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले;
- vii. केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पीबी में ओ.ए. सं. 2891/2015 के साथ ओ.ए. सं. 2883/2015 और समीक्षा याचिका आरए सं. 266/2016 के परिणामस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित यूओआई और एएनआर बनाम हिमांशु प्रभाकर और अन्य में डब्ल्यूपी (सी) 1738/2017;
- viii. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22014/2(ii)/2018-पीएमई (पार्ट-1)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 25.10.2018 और 22.11.2018 तथा गृह मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-32014/07/2018-प्रशा.1(ए) दिनांक 04.12.2018 के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री जी.डी. मिश्रा [सीएसएल नं. 2793] को प्रधान मंत्री कार्यालय में निजी सचिव के तौर पर तदर्थ आधार पर दिनांक 04 दिसम्बर 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2019 की अवधि के लिए या जब तक ये पद नियमित पदोन्नति से नहीं भरे जाते हैं या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

- i. इस तदर्थ पदोन्नति से नियुक्त हुए व्यक्ति को इसी ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. जो अधिकारी तदर्थ पदोन्नति का लाभ नहीं उठा पाते हैं, उनके संबंध में इस पदोन्नति आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा;
- v. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले;

- vi. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले;
- vii. केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पीबी में ओ.ए. सं. 2891/2015 के साथ ओ.ए. सं. 2883/2015 और समीक्षा याचिका आरए सं. 266/2016 के परिणामस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित यूओआई और एएनआर बनाम हिमांशु प्रभाकर और अन्य में डब्ल्यूपी (सी) 1738/2017;
- viii. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22014/2(ii)/2018-पीएमई (पार्ट-1)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 25.10.2018 और 22.11.2018 तथा गृह मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-32014/07/2018-प्रशा.II(ए) दिनांक 04.12.2018 के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री आर.सी. सीकरी [सीएसएल नं. 2218] को प्रधान मंत्री कार्यालय में निजी सचिव के तौर पर तदर्थ आधार पर दिनांक 07 दिसम्बर 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2019 की अवधि के लिए या जब तक ये पद नियमित पदोन्नति से नहीं भरे जाते हैं या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

- i. इस तदर्थ पदोन्नति से नियुक्त हुए व्यक्ति को इसी ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. जो अधिकारी तदर्थ पदोन्नति का लाभ नहीं उठा पाते हैं, उनके संबंध में इस पदोन्नति आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा;
- v. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले;
- vi. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले;
- vii. केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पीबी में ओ.ए. सं. 2891/2015 के साथ ओ.ए. सं. 2883/2015 और समीक्षा याचिका आरए सं. 266/2016 के परिणामस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित यूओआई और एएनआर बनाम हिमांशु प्रभाकर और अन्य में डब्ल्यूपी (सी) 1738/2017;
- viii. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22014/2(iii)/2018-पीएमई (पार्ट-1)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 25.10.2018 और 22.11.2018 तथा गृह मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-32014/07/2018-प्रशा.II(ए) दिनांक 04.12.2018 के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री सतिन्दर कपूर [सीएसएल नं. 2839] को प्रधान मंत्री कार्यालय में निजी सचिव के तौर पर तदर्थ आधार पर दिनांक 04 दिसम्बर 2018 (पूर्वाह्न) से

दिनांक 30.06.2019 की अवधि के लिए या जब तक ये पद नियमित पदोन्नति से नहीं भरे जाते हैं या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

- i. इस तदर्थ पदोन्नति से नियुक्त हुए व्यक्ति को इसी ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. जो अधिकारी तदर्थ पदोन्नति का लाभ नहीं उठा पाते हैं, उनके संबंध में इस पदोन्नति आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा;
- v. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले;
- vi. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले;
- vii. केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पीबी में ओ.ए. सं. 2891/2015 के साथ ओ.ए. सं. 2883/2015 और समीक्षा याचिका आरए सं. 266/2016 के परिणामस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित यूओआई और एएनआर बनाम हिमांशु प्रभाकर और अन्य में डब्ल्यूपी (सी) 1738/2017;
- viii. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए-22014/2(iv)/2018-पीएमई (पार्ट-1)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018-सीएस.II(ए) दिनांक 25.10.2018 और 22.11.2018 तथा गृह मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-32014/07/2018-प्रशा.1(ए) दिनांक 04.12.2018 के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री मोती लाल [सीएसएल नं. 3255] को प्रधान मंत्री कार्यालय में निजी सचिव के तौर पर तदर्थ आधार पर दिनांक 04 दिसम्बर 2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2019 की अवधि के लिए या जब तक ये पद नियमित पदोन्नति से नहीं भरे जाते हैं या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

- i. इस तदर्थ पदोन्नति से नियुक्त हुए व्यक्ति को इसी ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा;
- ii. तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;
- iii. निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;
- iv. जो अधिकारी तदर्थ पदोन्नति का लाभ नहीं उठा पाते हैं, उनके संबंध में इस पदोन्नति आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा;
- v. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले;

- vi. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले;
- vii. केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पीबी में ओ.ए. सं. 2891/2015 के साथ ओ.ए. सं. 2883/2015 और समीक्षा याचिका आरए सं. 266/2016 के परिणामस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित यूओआई और एएनआर बनाम हिमांशु प्रभाकर और अन्य में डब्ल्यूपी (सी) 1738/2017;
- viii. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 03 दिसम्बर 2018

सं. 14013/05/2016-अ.भा.से.।।।—कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी दिनांक 20 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 14013/05/2016-अ.भा.से.-।।। में आंशिक संशोधन करते हुए श्री नारबू वांगी भुटिया का नाम श्री नारबू वांगडी भुटिया तथा श्री प्रभुदत्ता डी. प्रधान का नाम प्रभुदत्ता डेविड प्रधान पढ़ा जाए।

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2018

सं. 14012/01/2017-अ.भा.से.।।।—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्र.सं.	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (श्रीमती/श्री)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
1.	आशिका जैन	एजीएमयूटी	07.09.17
2.	भानु प्रभा	एजीएमयूटी	07.09.17
3.	पूर्वा गर्ग	एजीएमयूटी	07.09.17
4.	वंदना राव	एजीएमयूटी	07.09.17
5.	वेदिता रेड्डी	एजीएमयूटी	07.09.17
6.	मेघा निधि दहाल	असम-मेघालय	07.09.17
7.	निसंग गौतम हिवारे	असम-मेघालय	07.09.17
8.	रोहन कुमार झा	असम-मेघालय	07.09.17
9.	शांतनु शर्मा	असम-मेघालय	07.09.17
10.	सुमित सत्तावान	असम-मेघालय	07.09.17
11.	स्वाप्निल तेंबे	असम-मेघालय	07.09.17
12.	विजय भास्कदर रेड्डी पी.	असम-मेघालय	07.09.17
13.	डी. राहुल वेंकट	छत्तीसगढ़	07.09.17
14.	हरिस एस.	छत्तीसगढ़	07.09.17
15.	नुपुर राशि पन्ना	छत्तीसगढ़	07.09.17
16.	प्रभात मलिक	छत्तीसगढ़	07.09.17

क्र.सं.	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (श्रीमती/श्री)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
17.	विजय दयाराम के.	छत्तीसगढ़	07.09.17
18.	अपूर्व देवगन	हिमाचल प्रदेश	07.09.17
19.	मुकेश रेपास्वाल	हिमाचल प्रदेश	07.09.17
20.	प्रियंका वर्मा	हिमाचल प्रदेश	07.09.17
21.	अनन्या मित्तल	झारखंड	07.09.17
22.	अंजली यादव	झारखंड	07.09.17
23.	जाधव विजय नारायणराव	झारखंड	07.09.17
24.	माधवी मिश्रा	झारखंड	07.09.17
25.	नमन प्रियेश लाकड़ा	झारखंड	07.09.17
26.	रामनिवास यादव	झारखंड	07.09.17
27.	रोनिता रमैया	झारखंड	07.09.17
28.	जेरोमिक जॉर्ज	केरल	07.09.17
29.	इन्बासेकर के.	केरल	07.09.17
30.	रेणु राज	केरल	07.09.17
31.	उमेश एन.एस.के.	केरल	07.09.17
32.	वी.आर.के. तेजा मिलवरपु	केरल	07.09.17
33.	घुंचा सनोबर	त्रिपुरा	07.09.17
34.	सजु वाहिद ए.	त्रिपुरा	07.09.17
35.	सुधाकर शिन्दे	त्रिपुरा	07.09.17
36.	लालिथंबिगई के.	मणिपुर	07.09.17
37.	मयंगलंबम राजकुमार	मणिपुर	07.09.17
38.	अजीत कुंभार	महाराष्ट्र	07.09.17
39.	अमन मित्तल	महाराष्ट्र	07.09.17
40.	आयुष प्रसाद	महाराष्ट्र	07.09.17
41.	भुवनेश्वरी एस.	महाराष्ट्र	07.09.17
42.	कर्दिल राहुल काशीनाथ	महाराष्ट्र	07.09.17
43.	सचिन ओमबासे	महाराष्ट्र	07.09.17
44.	वनमती सी.	महाराष्ट्र	07.09.17
45.	विनय गौड़ा जी.सी.	महाराष्ट्र	07.09.17
46.	अबदाल मुहम्मद अख्तर	ओडिसा	07.09.17
47.	आबोली सुनिल नरवने	ओडिसा	07.09.17
48.	अमृत रूतुराज	ओडिसा	07.09.17
49.	आदित्य उप्पल	पंजाब	07.09.17
50.	पलवी	पंजाब	07.09.17
51.	परमवीर सिंह	पंजाब	07.09.17

क्र.सं.	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (श्रीमती/श्री)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
52.	अजीत कुमार रंजन	नागालैंड	07.09.17
53.	मेकला चैतन्या प्रसाद	नागालैंड	07.09.17
54.	रेनी विलफ्रेड	नागालैंड	07.09.17
55.	तुषार गजानना निखारे	सिक्किम	07.09.17
56.	शिल्पा शर्मा	कर्नाटक	07.09.17
57.	अमन समीर	बिहार	07.09.17
58.	भावेश मिश्रा	बिहार	07.09.17
59.	घनश्याम मीणा	बिहार	07.09.17
60.	मनेश कुमार मीणा	बिहार	07.09.17
61.	प्रशांतकुमार सी.एच.	बिहार	07.09.17
62.	सावन कुमार	बिहार	07.09.17
63.	सुहर्षा भगत	बिहार	07.09.17
64.	अनन्या दास	गुजरात	07.09.17
65.	अर्पित सागर	गुजरात	07.09.17
66.	दिपशिखा शर्मा	गुजरात	07.09.17
67.	धामेलिया अनिभाई तुलाश	गुजरात	07.09.17
68.	ललित नारायण सिंह संदू	गुजरात	07.09.17
69.	नेहा	गुजरात	07.09.17
70.	नेहा कुमारी	गुजरात	07.09.17
71.	पटेल मिहिर प्रवीणकुमार	गुजरात	07.09.17
72.	राजेंद्र कुमार महेंद्रल	गुजरात	07.09.17
73.	अंजली राजौरिया	राजस्थान	07.09.17
74.	इंद्रजीत याव	राजस्थान	07.09.17
75.	लोक बंधु	राजस्थान	07.09.17
76.	निशांत जैन	राजस्थान	07.09.17
77.	पूजा कुमार पार्थ	राजस्थान	07.09.17
78.	सौरभ स्वामी	राजस्थान	07.09.17
79.	अरूणराज एस.	तमिलनाडु	07.09.17
80.	चारूषी थियागराजन	तमिलनाडु	07.09.17
81.	कमल किशोर ए.के.	तमिलनाडु	07.09.17
82.	क्रांति कुमार पती	तमिलनाडु	07.09.17
83.	मर्सी रामया आई.एस.	तमिलनाडु	07.09.17
84.	प्रसनाथ एम.एस.	तमिलनाडु	07.09.17
85.	प्रियंका बी.	तमिलनाडु	07.09.17
86.	राजा गोपाल सुकरड	तमिलनाडु	07.09.17

क्र.सं.	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (श्रीमती/श्री)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
87.	सरयू के.एम.	तमिलनाडु	07.09.17
88.	विष्णुप चंद्रन बी.	तमिलनाडु	07.09.17
89.	मो. इमरान रजा	हरियाणा	07.09.17
90.	प्रशांत पंवार	हरियाणा	07.09.17
91.	प्रीति	हरियाणा	07.09.17
92.	राहुल हुडा	हरियाणा	07.09.17
93.	उत्तम सिंह	हरियाणा	07.09.17
94.	गार्गी जैन	कर्नाटक	07.09.17
95.	अदिति गर्ग	मध्य प्रदेश	07.09.17
96.	अर्पित वर्मा	मध्य प्रदेश	07.09.17
97.	बालागुरु के.	मध्य प्रदेश	07.09.17
98.	हर्ष सिंह	मध्य प्रदेश	07.09.17
99.	हर्षल पंचोली	मध्य प्रदेश	07.09.17
100.	हिमांशु चंद्रा	मध्य प्रदेश	07.09.17
101.	मृणाल मीणा	मध्य प्रदेश	07.09.17
102.	पार्थ जयसवाल	मध्य प्रदेश	07.09.17
103.	रानी बंसल	मध्य प्रदेश	07.09.17
104.	रौशन कुमार सिंह	मध्य प्रदेश	07.09.17
105.	ऋतु राज	मध्य प्रदेश	07.09.17
106.	संस्कृति जैन	मध्य प्रदेश	07.09.17
107.	नीलाभ सक्सेना	राजस्थान	07.09.17
108.	पारूल पटवारी	ओडिसा	07.09.17

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2018

सं. 14015/22/2018-अ.भा.से.(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2017 की चयन सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार द्वारा उक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 22.10.2018 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के तहत 05.10.2018 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों को समाविष्ट करने वाली उत्तर प्रदेश के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:—

2017 की चयन सूची (1.1.2017 से 31.12.2017 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम (श्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.@	जितेंद्र बहादुर सिंह -1	01.01.1959
2.*	उदय राम (.जा.अ)	22.07.1960
3.@	भीष्म लाल (.जा.अ)	20.10.1964

क्र. सं.	नाम (श्री/सर्वश्री)	जन्म तिथि
4.	श्रीमती रेनू तिवारी (अ.जा.)	27.11.1966
5.	शेष मणि पांडे	09.04.1968
6.	राकेश कुमार मिश्रा-II	01.06.1964
7.	राकेश कुमार-I	01.12.1967
8.	अवनीश कुमार शर्मा	24.02.1962
9.	राम नारायण सिंह यादव	02.02.1964
10.	राम निवास	29.08.1961
11.	संतोष कुमार	03.02.1964
12.	राजेश कुमार त्यागी (अ.जा.)	05.01.1971
13.	मनोज कुमार (अ.जा.)	03.06.1968
14.	राधे श्याम (अ.जा.)	24.02.1972
15.	शेष नाथ (अ.जा.)	25.11.1966
16.	नीरज शुक्ला	10.06.1967
17.	उमेश मिश्रा	15.03.1972
18.	रवि शंकर गुप्ता	27.06.1962
19.	राजेश कुमार राय	20.06.1967
20.	उमेश प्रताप सिंह	10.02.1972
21.	चंद्र प्रकाश सिंह	08.07.1970
22.	श्री हरि प्रताप शाही	01.07.1967
23.\$	प्रेम प्रकाश सिंह	01.12.1969
24.	शत्रुघ्न सिंह	09.02.1961
25.	अरुण प्रकाश	15.07.1967
26.	रण विजय यादव	05.12.1967
27.	राजा राम (अ.जा.)	06.01.1964
28.	राम सिंगासन प्रेम (अ.जा.)	01.05.1965
29.	चंद्र शेखर	15.07.1967
30.	ज्ञानेश्वर त्रिपाठी	01.04.1965
31.	मंगला प्रसाद सिंह	24.11.1971
32.	राजेश कुमार पांडे	30.04.1971
33.	दिनेश चंद्र	01.07.1966
34.	डॉ अरविंद कुमार चौरासिया	01.01.1966

- * क्र.सं. 2 पर उल्लिखित अधिकारी के नाम के उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में अनापत्ति दिए जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।
- @ क्र.सं. 1 एवं 3 पर उल्लिखित अधिकारियों के नामों को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही में अनापत्ति दिए जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।
- \$ क्र.सं. 23 पर उल्लिखित अधिकारी का नाम के राज्य सरकार के संज्ञान में आयी प्रतिकूल बातों में अनापत्ति दिए जाने के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

पंकज गंगवार, अवर सचिव

सं. 14015/22/2018-अ.भा.से.(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति वर्ष 2017 की चयन सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रिक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं:—

2017 की चयन सूची (1.1.2017 से 31.12.2017 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं .	नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
1.	श्रीमती रेनू तिवारी	27.11.1966
2.	शेष मणि पांडे	09.04.1968
3.	राकेश कुमार मिश्रा-II	01.06.1964
4.	राकेश कुमार-I	01.12.1967
5.	अवनीश कुमार शर्मा	24.02.1962
6.	राम नारायण सिंह यादव	02.02.1964
7.	राम निवास	29.08.1961
8.	संतोष कुमार	03.02.1964
9.	राजेश कुमार त्यागी	05.01.1971
10.	मनोज कुमार	03.06.1968
11.	राधे श्याम	24.02.1972
12.	शेष नाथ	25.11.1966
13.	नीरज शुक्ला	10.06.1967
14.	उमेश मिश्रा	15.03.1972
15.	रवि शंकर गुप्ता	27.06.1962
16.	राजेश कुमार राय	20.06.1967
17.	उमेश प्रताप सिंह	10.02.1972
18.	चंद्र प्रकाश सिंह	08.07.1970
19.	श्री हरि प्रताप शाही	01.07.1967
20.	शत्रुघ्न सिंह	09.02.1961
21.	अरुण प्रकाश	15.07.1967
22.	रण विजय यादव	05.12.1967
23.	राजा राम	06.01.1964
24.	राम सिंगासन प्रेम	01.05.1965
25.	चंद्र शेखर	15.07.1967
26.	जानेश्वर त्रिपाठी	01.04.1965
27.	मंगला प्रसाद सिंह	24.11.1971
28.	राजेश कुमार पांडे	30.04.1971
29.	दिनेश चंद्र	01.07.1966
30.	डॉ अरविंद कुमार चौरासिया	01.01.1966

पंकज गंगवार, अवर सचिव

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक

सं. 03/122/2015—श्री प्रेम नाथ, पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापन, एस.सी.-II, नई दिल्ली ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30.11.2018 के अपराहन से पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी.पी. सिंह, प्रसाशनिक अधिकारी (कार्मिक)

विदेश मंत्रालय

[उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ) का कार्यालय]

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2018

सं. डी III /460/सी एफ-03/2018—भारत के राष्ट्रपति चेन्निई में चेक गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री एर रम अरुण की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री एर रम अरुण के कौंसली क्षेत्राधिकार में तमिलनाडु राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरी होगा, जिसका केंद्र चेन्नई होगा।

डी.सी.डी. दास, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

सं. डी III /460/सी एफ-45/2018—भारत के राष्ट्रपति मुंबई में रूसी परिसंघ के प्रधान कौंसल के रूप में श्री अलेक्सेई व्लादिमिरोविच सूरोव्त्सेव की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री अलेक्सेई व्लादिमिरोविच सूरोव्त्सेव के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश दमन और दीव होगा, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

डी.सी.डी. दास, उप न्याचार प्रमुख (सु)

सं. डी III /460/सी एफ-62/2018—भारत के राष्ट्रपति मुंबई में कोरिया गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में श्री किम डोंग यंग की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री किम डोंग यंग के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली होगा, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

डी.सी.डी. दास, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2018

सं. ए-19011/29/2018-एसईजेड (प्रशा.)—राष्ट्रपति द्वारा श्री वी.के. के. नदीमपल्ली, उप निदेशक, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को दिनांक 6/4/2017 के (पूर्वाहन) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागत वसूली आधार पर प्रतिनियुक्ति पर, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11, तदनुसूची वेतन बैंड-3 (रु.15600-39100/-) और ग्रेड वेतन 6600/- रूपए में वाणिज्य विभाग के तहत उप विकास आयुक्त, एपीआईआईसी विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम के रूप में नियुक्त करते हैं।

आदित्य नारायण, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2018

सं. ए-19011/32/2018-एसईजेड (प्रशा.)—राष्ट्रपति द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह, भारतीय व्यापार सेवा: 1989 को 15/10/2018 (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 (रु. 144200-218200) में वाणिज्य विभाग के अधीन, सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र, सूरत में विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. श्रीनिवासन, अवर सचिव

सं. क-43011(15)/7/2018-एसईजेड (प्रशा.)—राष्ट्रपति, द्वारा श्री बी.के.पांडा, भारतीय आयुध कारखाना सेवा (आईओएफएस:1988) को 29/10/2018 (अपराह्न) से 19/5/2021 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 (रु 1,44,200-2,18,200/-) में वाणिज्य विभाग के अधीन फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता में विकास आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी.श्रीनिवासन, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

सं. ए-12011/1/2014-स्था.पना—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के आदेश संख्या 5/8/2013-सी.एस.।(यू) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अवर सचिवों की तदर्थ नियुक्ति की अवधि में 31.12.2018 तक विस्तार करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	सीएसएल संख्या	तारीख, जब से अवर सचिव के रूप कार्य कर रहे हैं	तारीख, जब तक आगे विस्तार दिया गया है
1.	श्री पी.के. त्यावगी	7923	18.06.2013 (अपराह्न)	31.12.2018
2.	श्रीमती जयश्री नारायणन	9205	29.09.2016	31.12.2018

2. तदर्थ प्रोन्नति का विस्तार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

अनिल कुमार पाण्डेय, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली 110011-, दिनांक 7 दिसम्बर 2018

सं. ए. 12025/187/2017-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. नंदनी कुमारी को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. नंदनी कुमारी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय, अवर सचिव

सं. ए. 12025/121/2014-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सचिन मित्तल को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. सचिन मित्तल को केन्द्रीय राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 6 दिसम्बर 2018

सं. 6(2841)/2018-प्रशा./15294—राष्ट्रपति ने सुश्री सुधा कृष्णन, आईएएंडएस:83, वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग को दिनांक 24.09.2018 से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा आयोग एवं पृथ्वी आयोग के वित्त सदस्य के पद का अतिरिक्त प्रभार देने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 अक्टूबर 2018

सं. 8(22)/2016-ईजी-1—जैसा कि भारत सरकार के ई-शासन पहलों ने केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ एक नई गति हासिल की है। साथ ही, प्रत्येक को यह समझना होगा कि संयुक्त राष्ट्र ई-शासन इंडेक्स पर भारत वैश्विक औसत से नीचे है और इसे ऊपर उठाने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ई-शासन सर्वे 2016 टिकाऊ विकास लक्ष्यों जैसे एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण नीति एकीकरण और बिग डेटा एनालिटिक्स को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्राप्त करने के लिए तीन पहलुओं पर जोर देता है। उद्यम वास्तुकला दृष्टिकोण इसे प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है भारत को अपने वर्तमान शक्तियों को व्यापक रूप से और तेजी से लाभ उठाना है। भारत उद्यम वास्तुकला चिंतन (ईडईए) का अंगीकरण वास्तुकला चिंतन के माध्यम से एक योजनाबद्ध विकास को सक्षम बनाता है और

जैसा कि भारत को पारिस्थितिकी तंत्र की प्रणालियों का रुख करते हुए, उद्यम वास्तुकला, डिजिटल सेवा मानको (डीएसएस) को अपनाते हुए, नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए और डिजिटल कायाकल्प करने वाली टीमों को नेतृत्व प्रदान कर परिवर्तन के लिए एक बड़ी पहल शुरू करनी है। इस पारिस्थितिकी तंत्र की पूर्ण आवश्यकता यह है कि मौजूदा प्रणाली को नई वास्तुकला मुक्त मानकों, मुक्त डाटा, व्यापार मॉडल और विनियमों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए और

जैसा कि ई-शासन के लिए मानको के भाग के रूप में ई-शासन सूचकांक में सुधार के प्रयोजन से इसे अपनाने के लिए मार्गदर्शिका के साथ-साथ भारतीय उद्यम वास्तुकला (ईडईए) फ्रेमवर्क तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई और

जैसा कि मानको पर सक्षम प्राधिकारी ने ईडईए को अपनाने के लिए मार्गदर्शिका के साथ-साथ ईडईए फ्रेमवर्क अनुमोदित कर दिया है। ईडईए फ्रेमवर्क वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानको के एक सेट द्वारा समर्थित 36 सिद्धांतों और 08 संदर्भ मॉडलों पर आधारित है। संदर्भ मॉडलों में व्यापार को शामिल किया जाता है, जो सेवाओं के पोर्टफोलियो अनुप्रयोग, डाटा, प्रौद्योगिकी, निष्पादन, एकीकरण, सुरक्षा और वास्तुकला शासन जैसी सेवाएं प्रदान करता है और

अतः एमईआईटीवाई, भारत सरकार इस अधिसूचना की तारीख से वास्तुकला चिंतन के माध्यम से योजनाबद्ध विकास को सक्षम बनाने के लिए ईडईए फ्रेमवर्क और ईडईए अनुपालन मार्गदर्शिका एतद्वारा <http://egovstandards.gov.in> पर प्रकाशित करता है।

डी. के. सागर, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

लखनऊ-226001, दिनांक 30 नवम्बर 2018

सं. पीएफ/2703/एनआईसी/2018-प्रशा—डॉ लौटू राम यादव, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड संख्या 2703), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, लखनऊ से 30 नवम्बर, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गये हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

अबू बकर, वैज्ञानिक-ई

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2018

सं. ईआरबी-1/2018/10/66—श्री महेश कुमार गुप्ता, सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.10.2018 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रंजनेश सहाय, सचिव

दिनांक 11 दिसम्बर 2018

सं. ईआरबी-1/2018/10/66—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2018 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं:—

- (i) श्री संजीव गर्ग अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान)
- (ii) श्री आनन्द माथुर महानिदेशक (कार्मिक)

रंजनेश सहाय, सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 11th December 2018

No. A.22012/1/2018-PME(Pt.-1)—The President is pleased to extend the tenure of central deputation of Shri Ajit Kumar, IAS (KL:2006), Deputy Secretary in the Prime Minister's Office for a period of one year beyond 25.02.2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22014/2(i)/2018-PME (Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 25.10.2018 & 22.11.2018 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 04.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Man Singh Rana (CSL No. 2450) as Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Home Affairs in Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 04th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not be count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The officers who fail to avail ad-hoc promotion would not be considered for ad-hoc promotion for a period of one year from the date of issue of this promotion order;
- v. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- vi. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vii. The WP(C) 1738/2017 in UOI & ANR vs Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;
- viii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22014/2(ii)/2018-PME (Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 25.10.2018 & 22.11.2018 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 04.12.2018, the President is pleased to appoint Shri G. D. Mishra (CSL No. 2793) as Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Home Affairs in Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 04th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not be count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The officers who fail to avail ad-hoc promotion would not be considered for ad-hoc promotion for a period of one year from the date of issue of this promotion order;
- v. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

- vi. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vii. The WP(C) 1738/2017 in UOI & ANR vs Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;
- viii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22014/2(ii)/2018-PME (Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 25.10.2018 & 22.11.2018 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 07.12.2018, the President is pleased to appoint Shri R. C. Sikri (CSL No. 2218) as Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Home Affairs in Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 07th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not be count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The officers who fail to avail ad-hoc promotion would not be considered for ad-hoc promotion for a period of one year from the date of issue of this promotion order;
- v. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- vi. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vii. The WP(C) 1738/2017 in UOI & ANR vs Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;
- viii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22014/2(iii)/2018-PME (Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 25.10.2018 & 22.11.2018 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 04.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Satinder Kapur (CSL No. 2839) as Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Home Affairs in Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 04th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not be count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The officers who fail to avail ad-hoc promotion would not be considered for ad-hoc promotion for a period of one year from the date of issue of this promotion order;

- v. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- vi. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vii. The WP(C) 1738/2017 in UOI & ANR vs Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;
- viii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22014/2(iv)/2018-PME (Pt.-1)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 25.10.2018 & 22.11.2018 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 04.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Moti Lal (CSL No. 3255) as Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Home Affairs in Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 04th December, 2018, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

- i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;
- ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not be count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- iv. The officers who fail to avail ad-hoc promotion would not be considered for ad-hoc promotion for a period of one year from the date of issue of this promotion order;
- v. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- vi. The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;
- vii. The WP(C) 1738/2017 in UOI & ANR vs Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;
- viii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 3rd November 2018

No. 14013/05/2016-AIS-III—In partial modification in the Notification No. 14013/05/2016-AIS-III dated 20th August, 2018 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), the name Shri Narbu Wangi Bhutia may be read as Shri Narbu Wangdi Bhutia and name of Shri Prabhudutta D Pradhan may be read as Probhudutta David Pradhan.

JYOTSNA GUPTA, Under Secretary

The 4th December 2018

No. 14012/01/2017-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following member of the Indian Administrative Service of 2015 batch in the Indian Administrative Service, with effect from date (s) shown against them.

S.No.	Name of Officer Trainee (S/Sh.)	Cadre	Due date of Confirmation
1	Aashika Jain	AGMUT	07.09.17
2	Bhanu Prabha	AGMUT	07.09.17
3	Purva Garg	AGMUT	07.09.17
4	Vandana Rao	AGMUT	07.09.17
5	Veditha Reddy	AGMUT	07.09.17
6	Megha Nidhi Dahal	Assam-Meghalaya	07.09.17
7	Nisarg Gautam Hivare	Assam-Meghalaya	07.09.17
8	Rohan Kumar Jha	Assam-Meghalaya	07.09.17
9	Shantanu Sharma	Assam-Meghalaya	07.09.17
10	Sumit Sattawan	Assam-Meghalaya	07.09.17
11	Swapnil Tembe	Assam-Meghalaya	07.09.17
12	Vijaya Bhaskar Reddy P.	Assam-Meghalaya	07.09.17
13	D. Rahul Venkat	Chhattisgarh	07.09.17
14	Haris S.	Chhattisgarh	07.09.17
15	Nupur Rashi Panna	Chhattisgarh	07.09.17
16	Prabhat Malik	Chhattisgarh	07.09.17
17	Vijay Dayaram K.	Chhattisgarh	07.09.17
18	Apoorv Devgan	Himachal Pradesh	07.09.17
19	Mukesh Repaswal	Himachal Pradesh	07.09.17
20	Priyanka Verma	Himachal Pradesh	07.09.17
21	Ananya Mittal	Jharkhand	07.09.17
22	Anjali Yadav	Jharkhand	07.09.17
23	Jadhav Vijaya Narayanrao	Jharkhand	07.09.17
24	Madhvi Mishra	Jharkhand	07.09.17
25	Naman Priyesh Lakra	Jharkhand	07.09.17
26	Ramniwas Yadav	Jharkhand	07.09.17
27	Ronita Ramaiah	Jharkhand	07.09.17
28	Geromic George	Kerala	07.09.17
29	Inbasekar K.	Kerala	07.09.17
30	Renu Raj	Kerala	07.09.17
31	Umesh N.S.K.	Kerala	07.09.17
32	V.R.K. Teja Mylavarapu	Kerala	07.09.17
33.	Ghuncha Sanobar	Tripura	07.09.17
34.	Saju Vaheed A.	Tripura	07.09.17
35.	Sudhakar Shinde	Tripura	07.09.17
36.	Lalithambigai K.	Manipur	07.09.17
37.	Mayanglambam Rajkumar	Manipur	07.09.17
38.	Ajit Kumbhar	Maharashtra	07.09.17
39.	Aman Mittal	Maharashtra	07.09.17
40.	Ayush Prasad	Maharashtra	07.09.17
41.	Buveneswari S.	Maharashtra	07.09.17
42	Kardile Rahul Kashinath	Maharashtra	07.09.17
43	Sachin Ombase	Maharashtra	07.09.17
44	Vanmathi C.	Maharashtra	07.09.17
45	Vinay Gowda G.C.	Maharashtra	07.09.17
46	Abdaal Muhammed Akhtar	Odisha	07.09.17
47	Aboli Sunil Naravane	Odisha	07.09.17
48	Amrit Raturaj	Odisha	07.09.17
49	Aditya Uppal	Punjab	07.09.17

50	Palavi	Punjab	07.09.17
51	Paramvir Singh	Punjab	07.09.17
52	Ajit Kumar Ranjan	Nagaland	07.09.17
53	Mekala Chaitanya Prasad	Nagaland	07.09.17
54	Reny Wilfred	Nagaland	07.09.17
55	Tushar Gajanan Nikhare	Sikkim	07.09.17
56	Shilpa Sharma	Karnataka	07.09.17
57	Aman Samir	Bihar	07.09.17
58	Bhaves Mishra	Bihar	07.09.17
59	Ghanshyam Meena	Bihar	07.09.17
60	Manesh Kumar Meena	Bihar	07.09.17
61	Prashanthkumar C.H.	Bihar	07.09.17
62	Sawan Kumar	Bihar	07.09.17
63	Suharsha Bhagat	Bihar	07.09.17
64	Ananya Das	Gujrat	07.09.17
65	Arpit Sagar	Gujrat	07.09.17
66	Deepshikha Sharma	Gujrat	07.09.17
67	Dhameliya Anilbhai Tulash	Gujrat	07.09.17
68	Lalit Narayan Singh Sandu	Gujrat	07.09.17
69	Neha	Gujrat	07.09.17
70	Neha Kumari	Gujrat	07.09.17
71	Patel Mihir Pravinkumar	Gujrat	07.09.17
72	Rajendrakumar Mahendral	Gujrat	07.09.17
73.	Anjali Rajoria	Rajasthan	07.09.17
74	Inderjeet Yadav	Rajasthan	07.09.17
75	Lok Bandhu	Rajasthan	07.09.17
76	Nishant Jain	Rajasthan	07.09.17
77	Pooja Kumari Parth	Rajasthan	07.09.17
78	Sourabh Swami	Rajasthan	07.09.17
79	Arunraj S.	Tamil Nadu	07.09.17
80	Charusree Thiagarajan	Tamil Nadu	07.09.17
81	Kamal Kishore A.K.	Tamil Nadu	07.09.17
82	Kranthi Kumar Pati	Tamil Nadu	07.09.17
83	Mercy Ramya I.S.	Tamil Nadu	07.09.17
84	Prasanth M.S.	Tamil Nadu	07.09.17
85	Priyanka B.	Tamil Nadu	07.09.17
86	Raja Gopal Sunkara	Tamil Nadu	07.09.17
87	Sarayu K.M.	Tamil Nadu	07.09.17
88	Vishnu Chandran B.	Tamil Nadu	07.09.17
89	Mohd Imran Raza	Haryana	07.09.17
90	Prashant panwar	Haryana	07.09.17
91	Preeti	Haryana	07.09.17
92	Rahul Hooda	Haryana	07.09.17
93	Uttam Singh	Haryana	07.09.17
94	Gargi Jain	Karnataka	07.09.17
95	Aditi Garg	Madhya Pradesh	07.09.17
96	Arpit Verma	Madhya Pradesh	07.09.17
97	Balaguru K.	Madhya Pradesh	07.09.17
98	Harsh Singh	Madhya Pradesh	07.09.17
99	Harshal Pancholi	Madhya Pradesh	07.09.17

100	Himanshu Chandra	Madhya Pradesh	07.09.17
101	Mrinal Meena	Madhya Pradesh	07.09.17
102	Parth Jaiswal	Madhya Pradesh	07.09.17
103	Rani Bansal	Madhya Pradesh	07.09.17
104	Raushan Kumar Singh	Madhya Pradesh	07.09.17
105	Ritu Raj	Madhya Pradesh	07.09.17
106	Sanskriti Jain	Madhya Pradesh	07.09.17
107	Neelabh Saxena	Rajasthan	07.09.17
108	Parul Patawari	Odisha	07.09.17

JYOTSNA GUPTA, Under Secretary

The 5th November 2018

No. 14015/22/2018-AIS-(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Uttar Pradesh containing the following names, prepared on 22.10.2018 under Regulation 5(5) and approved on 05.11.2018 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Uttar Pradesh Cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2017:—

Select List of 2017(Against vacancies arisen between 1.1.2017 to 31.12. 2017)

Sl. No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.@	Jitendra Bahadur Singh-I	01.01.1959
2.*	Udayee Ram (SC)	22.07.1960
3.@	Bheesm Lal (SC)	20.10.1964
4.	Smt. Renu Tiwari (SC)	27.11.1966
5.	Shesh Mani Pandey	09.04.1968
6.	Rakesh Kumar Mishra-II	01.06.1964
7.	Rakesh Kumar – I	01.12.1967
8.	Avnish Kumar Sharma	24.02.1962
9.	Ram Narayan Singh Yadav	02.02.1964
10.	Ram Newas	29.08.1961
11.	Santosh Kumar	03.02.1964
12.	Rajesh Kumar Tyagi (SC)	05.01.1971
13.	Manoj Kumar (SC)	03.06.1968
14.	Radhey Shyam (SC)	24.02.1972
15.	Shesh Nath (SC)	25.11.1966
16.	Niraj Shukla	10.06.1967
17.	Umesh Mishra	15.03.1972
18.	Ravi Shankar Gupta	27.06.1962
19.	Rajesh Kumar Rai	20.06.1967
20.	Umesh Pratap Singh	10.02.1972
21.	Chandra Prakash Singh	08.07.1970
22.	Sri Hari Pratap Shahi	01.07.1967
23.\$	Prem Prakash Singh	01.12.1969
24.	Shatrughan Singh	09.02.1961
25.	Arun Prakash	15.07.1967
26.	Ran Vijay Yadav	05.12.1967
27.	Raja Ram (SC)	06.01.1964
28.	Ram Singhasan Prem (SC)	01.05.1965
29.	Chandra Shekhar	15.07.1967

Sl. No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
30.	Gyaneshwar Tripathi	01.04.1965
31.	Mangla Prasad Singh	24.11.1971
32.	Rajesh Kumar Pandey	30.04.1971
33.	Dinesh Chandra	01.07.1966
34.	Dr. Arvind Kumar Chaurasiya	01.01.1966

* The name at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him.

@ The names at Sl. No. 1 and 3 have been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against them.

\$ The name at Sl. No. 23 has been included in the list provisionally subject to clearance of the adverse thing which came to the notice of the State Government.

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

No. 14015/22/2018-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Uttar Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2017, on probation until further orders and to allocate them to the Uttar Pradesh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2017(Against vacancies arisen between 1.1.2017 to 31.12. 2017)

Sl. No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.	Smt. Renu Tiwari	27.11.1966
2.	Shesh Mani Pandey	09.04.1968
3.	Rakesh Kumar Mishra-II	01.06.1964
4.	Rakesh Kumar – I	01.12.1967
5.	Avnish Kumar Sharma	24.02.1962
6.	Ram Narayan Singh Yadav	02.02.1964
7.	Ram Newas	29.08.1961
8.	Santosh Kumar	03.02.1964
9.	Rajesh Kumar Tyagi	05.01.1971
10.	Manoj Kumar	03.06.1968
11.	Radhey Shyam	24.02.1972
12.	Shesh Nath	25.11.1966
13.	Niraj Shukla	10.06.1967
14.	Umesh Mishra	15.03.1972
15.	Ravi Shankar Gupta	27.06.1962
16.	Rajesh Kumar Rai	20.06.1967
17.	Umesh Pratap Singh	10.02.1972
18.	Chandra Prakash Singh	08.07.1970
19.	Sri Hari Pratap Shahi	01.07.1967
20.	Shatrughan Singh	09.02.1961
21.	Arun Prakash	15.07.1967
22.	Ran Vijay Yadav	05.12.1967
23.	Raja Ram	06.01.1964
24.	Ram Singhasan Prem	01.05.1965
25.	Chandra Shekhar	15.07.1967
26.	Gyaneshwar Tripathi	01.04.1965
27.	Mangla Prasad Singh	24.11.1971
28.	Rajesh Kumar Pandey	30.04.1971

Sl. No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
29.	Dinesh Chandra	01.07.1966
30.	Dr. Arvind Kumar Chaurasiya	01.01.1966

PANKAJ GANGWAR, Under Secretary

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the

No. 03/122/2015—Shri Prem Nath, Deputy Superintendent of Police, CBI, Special Police Establishment, SC-II, New Delhi has relinquished charge of the post of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon 30.11.2018 on attaining the age of retirement on superannuation.

D. P. SINGH, Admn. Officer (Admn.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
[OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)]

New Delhi, the 27th November 2018

No. DIII/460/CF-03/2018—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Ar Rm Arun as the Honorary Consul of the Czech Republic in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Ar Rm Arun comprises the State of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry, with the seat in Chennai.

D. C. D. DASS, Deputy Chief of Protocol (F)

No. DIII/460/CF-45/2018—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Aleksei Vladimirovich Surovtsev as the Consul General of Russian Federation in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Aleksei Vladimirovich Surovtsev comprises the States of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Goa, Chhattisgarh and Union territory of Daman & Diu with the seat in Mumbai.

D. C. D. DASS, Deputy Chief of Protocol (F)

No. DIII/460/CF-62/2018—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Kim Dong-young as the Consul General of the Republic of Korea in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Kim Dong-young comprises the States of Maharashtra, Gujarat, Goa, Telangana, Madhya Pradesh and Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli with the seat in Mumbai.

D. C. D. DASS, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 10th December 2018

No. A-19011/29/2018-SEZ(Admin)—The President is pleased to appoint Shri V.K.K.Nadimpalli, Deputy Director, Office of the Economic Adviser, Department of Industrial Policy & Promotion as Deputy Development Commissioner, APIIC Special Economic Zone, Visakhapatnam under the Department of Commerce, in Level-11 of Pay Matrix, corresponding to Pay Band-3 of ₹ 15600-39100/- plus Grade Pay ₹ 6600/-, on deputation on cost recovery basis, for a period of three years with effect from 6/4/2017 (forenoon) or until further order, whichever is earlier.

ADITYA NARAYAN, Under Secretary

New Delhi, the 10th December 2018

No. A-19011/32/2018-SEZ (ADMIN.)—The President is pleased to appoint Shri Virendra Singh, Indian Trade Service:1989 as Development Commissioner, Surat Special Economic Zone, Surat under the Department of Commerce, in the Level-14 (Rs.144200-218200) of the Pay Matrix with effect from 15/10/2018 (Forenoon) until further orders.

G. SRINIVASAN, Under Secretary

No. K-43011(15)/7/2018-SEZ(Admin.)—The President is pleased to appoint Shri B.K.Panda, Indian Ordnance Factories Service:1988 as Development Commissioner (Joint Secretary level) in Falta Special Economic Zone, Kolkata under the Department of Commerce, in Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) of the Pay Matrix with effect from 29/10/2018 (Afternoon) and upto 19/5/2021 or until further orders, whichever is earlier.

G. SRINIVASAN, Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 12th December 2018

No. A-12011/1/2014- Estt.—In pursuance of the DoP&T's Order No. 5/8/2013-CS.I(U) dated 31st October, 2018, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of following Under Secretaries of CSS in the Department of Consumer Affairs, for a period upto 31.12.2018.

Sl.No.	Name of the Officers	CSL No.	Date from which officiating as US	Date upto which further extn. granted
1.	Shri P.K. Tyagi	7923	18.06.2013 (A/N)	31.12.2018
2.	Smt. Jayashree Narayanan	9205	29.09.2016	31.12.2018

2. The continuation of ad-hoc promotion is subject to the conditions mentioned in DoP&T's order mentioned above.

ANIL KUMAR PANDEY, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 7th December 2018

No. A.12025/187/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nandani Kumari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Nandani Kumari is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROURAY, Under Secretary

The 10th December 2018

No. A.12025/121/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sachin Mittal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Sachin Mittal is posted as Medical Officer under Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROURAY, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 6th December 2018

No. 6(2841)/2018-Adm./15294—The President has approved the assignment of the additional charge of the post of Member Finance, Atomic Energy Commission and Earth Commission to Ms Sudha Krishnan IA&AS:83, Member Finance, Space Commission with effect from 24.09.2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA, Under Secretary

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi, the 9th October 2018

No. 8(22)/2016-EG-I—Whereas, the e-Governance initiatives of India have acquired a new momentum with a launch of the Digital India Program by the Central Government. At the same time, one has to recognize that India is below global average on United Nation (UN) e-Government Index and needs to take large strides to make up. The UN e-Government survey 2016 emphasizes on three aspects; A whole-of-Government Approach, Policy Integration and use of Big Data Analytics as the important means for achieving the Sustainable Development Goals. Enterprise Architecture

approach is a good way to achieve the same. India has to leverage its current strengths- widely and rapidly. Adoption of India Enterprise Architecture (IndEA) enables a planned development through Architectural Thinking' and

Whereas India has to raise the bar by migrating the systems to ecosystems, adoption of Enterprise Architecture, Digital Service Standards (DSS), leveraging new technologies and providing leadership to digital transformation teams. The pre-requisite of this ecosystem requires to be strengthened by means of architectures, open standards, open data, business model and regulations and

Whereas as a part of Standards for e-Governance, a need was felt to formulate the India Enterprise Architecture (IndEA) Framework along with Adoption Guide in order to improve the e-Government Index and

Whereas the Competent Authority on Standards has approved IndEA Framework and IndEA Adoption Guide. IndEA framework is based on 36 principles and 08 references models supported by a set of globally acceptable standards. The reference model covers business, which provides port-folio of services, application, data, technology, performance, integration, security and architecture governance and

Therefore MeitY, GoI notifies IndEA Framework and IndEA Adoption Guide published on <http://egovstandards.gov.in> for enabling a planned development through architecture thinking w.e.f date of notification.

D. K. SAGAR, Deputy Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Lucknow-226001, the 30th November 2018

No. PF/2703/NIC/2018/Adm.—Dr. Lautoo Ram Yadav, Scientist-F (Emp. Code No. 2703) of National Informatics Centre, Lucknow is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

ABU BAKAR, Scientist-E

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 6th December 2018

No. ERB-I/2018/10/66—Shri Mahesh Kumar Gupta, Member (Engineering), Railway Board and Ex-Officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.10.2018, on attaining the age of superannuation.

RANJANESH SAHAI, Secretary

The 11th December 2018

No. ERB-I/2018/10/66—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.11.2018.

- (i) Shri Sanjiv Garg, Additional Member (Tourism & Catering)
- (ii) Shri Anand Mathur, Director General (personnel)

RANJANESH SAHAI, Secretary